नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

बनाम

सीमेंसएटकीनिंगसेलशाफ्ट

28 फ़रवरी,2007

[ए. के. माथुर और पी. के. बालासुब्रमण्यन, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996,

धारा 37 (2) के अंतर्गत अपील पोषणीय - अभिनिर्धारित, माध्यस्थम अधिकरण केवल क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इंकार करने या पंचाट पारित करने से मना करने और मध्यस्थ कार्यवाहियों के खारिज करने या जहां क्षेत्राधिकार के अभाव या क्षेत्राधिकार से परे का दावा स्वीकार करता है और क्षेत्राधिकार से मना करने पर दावे के गुणावगुण पर जाने से इंकार करता है।

माध्यस्थम अधिकरण के समक्ष प्रत्यर्थी ने अपीलकर्ता की ओर से हुई देरी के मुआवजे के लिए दावा किया, जिसके लिए एक कार्य अनुबंध निष्पादित किया गया था। अपीलकर्ता ने न केवल दावे का विरोध किया बिल्क प्रतिदावा भी किया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रतिदावे का विरोध कर तर्क दिया गया कि माध्यस्थम् अधिकरण के समक्ष दावे में लगाए गए दावों के अलावा अन्य पक्षों के बीच सभी बकाया दावों का पक्षकारों के बीच

निर्धारण कर दिया गया था, जो कि उनके बीच की बैठक कार्यवाही विवरण में वर्णित समझौता ज्ञापन (एम.ओ.एम.) प्रमाणित करता है। इसलिए, प्रत्यर्थी ने यह तर्क दिया कि माध्यस्थम अधिकरण के समक्ष अपीलकर्ता द्वारा प्रतिदावे के माध्यम से किए गए दावे कायम रखने योग्य नहीं थे या एम.ओ.एम. के अनुरूप नहीं थे। इसलिए, अपीलकर्ता द्वारा दायर प्रतिदावे में माध्यस्थम् अधिकरण के समक्ष निर्णय के लिए जो बच गया वह एम. ओ. एम. का प्रभाव था। माध्यस्थम् अधिकरण ने माना कि प्रतिदावे में दावा संख्या 1 और 7 के अलावा, अन्य दावों का निर्धारण पहले ही हो चुका है जैसा कि एम. ओ. एम. द्वारा प्रमाणित है और उक्त दावे माध्यस्थम् अधिकरण के समक्ष निर्णय के लिए बच नहीं पाए। यह माना गया कि दावा संख्या 7 वास्तव में एक दावा नहीं था क्योंकि अपीलकर्ता ने जो किया वह उस स्कोर पर दावा करने का अधिकार सुरक्षित रखने के लिए था। दावा संख्या 1 के संबंध में अधिकरण ने माना कि यह परिसीमा से वर्जित था। इसलिए जिसे आंशिक पंचाट कहा गया, उसमें प्रत्यर्थी का दावा समय पर पाया गया और अपीलकर्ता द्वारा किया गया प्रतिदावा अस्थिर पाया गया। माध्यस्थम अधिकरण के आंशिक पंचाट के विरूद्ध मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 37 (2) (ए) के तहत अपीलार्थी द्वारा अपील करने पर उच्च न्यायालय ने नकारात्मक उत्तर दिया।

अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि जब मध्यस्थों ने प्रतिदावे के गुणावगुण पर जाने से इनकार कर दिया, तो वे वास्तव में अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (2) के संदर्भ में वास्तविक क्षेत्राधिकार को अस्वीकार कर रहे थे और ऐसी स्थिति में, अधिनियम की धारा 37(2)(ए) के तहत अपील स्पष्ट रूप से सुनवाई योग्य थी।

दूसरी ओर प्रत्यर्थी द्वारा यह तर्क दिया गया कि यह एन.टी.पी.सी. द्वारा किए गए प्रतिदावे पर विचार करने के लिए माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा क्षेत्राधिकार में मना करने का मामला नहीं था, बल्कि पंचाट में बताए गए कारण के आधार पर यह वास्तव में प्रतिदावे को अस्थिर पाए जाने का मामला था। इस प्रकार माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा दिया गया आंशिक पंचाट अपीलकर्ता के प्रतिदावे पर एक पंचाट था और यह ऐसा मामला नहीं था जो अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के अंतर्गत आता हो और अधिनियम की धारा 37(2)(ए). को आकृष्ट करता हो।

न्यायालय ने अपील खारिज की।

अभिनिर्धारितः माथुर, जे.

1.1. विवाद्यकों के निर्धारण में अधिकरण का यह निष्कर्ष है कि बैठक कार्यवाही विवरण में प्रतिदावे के अतिरिक्त बचाव को शामिल करना अनावश्यक है ना ही स्वीकार्य है, ना ही मध्यस्थता के संदर्भ में शामिल योग्य है; मामले में क्षेत्राधिकार का कोई प्रश्न निहित नहीं, जो अपीलकर्ता को अधिनियम की धारा 37 के तहत सीधे अपील दायर करने में सक्षम बनाता हो। [पैरा 7] [409- ए-एच]

- 1.2. क्षेत्राधिकार की दलील अपीलकर्ता द्वारा नहीं की गई थी, बिल्क प्रत्यर्थी ने अपने प्रतिदावे को पूरा करने के लिए इसे उठाया था, हालांकि यह इस संदर्भ में नहीं था कि अधिकरण के पास कोई क्षेत्राधिकार नहीं है [पैरा 8] [410- डी]
- 1.3. मध्यस्थता में, दिए गए आंशिक पंचाट को अधिनियम की धारा 34 के तहत चुनौती दी जा सकती है लेकिन धारा 37 के तहत कोई भी सीधी अपील तब तक स्वीकार्य नहीं है जब तक कि इसमें क्षेत्राधिकार संबंधी विवायक शामिल न हों। [411- डी-ई],
- 2.1. धारा 37 (2) के तहत अपील केवल तभी की जा सकती है जब कोई आदेश इस अधिनियम की धारा 16(2) और 16 (3) के तहत पारित किया गया हो। [पैरा 8] [410-सी]

बालासुब्रमण्यम जे.

2.1. ऐसे मामले जहां माध्यस्थम् अधिकरण क्षेत्राधिकार से संबंधित आपत्ति को खारिज करने के बाद एक पंचाट पारित करता तो पक्षकारों को संभवतः उस पंचाट से बचाव हेतु अधिनियम की धारा 34 का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन, यदि अधिकरण अधिकार क्षेत्र से इंकार करता है या कोई पंचाट पारित करने से इंकार करता है और मध्यस्थ कार्यवाही को खारिज कर देता है, तो पीड़ित पक्ष के पास धारा 37 (2) के तहत उपाय है। जहां क्षेत्राधिकार के अभाव में या क्षेत्राधिकार से परे वाद मध्यस्थ अधिकरण द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है और क्षेत्राधिकार के अभाव में दावे के गुणावगुण पर मना करता है तो एक सीधी अपील की जा सकती है। केवल क्षेत्राधिकार का अभाव, या क्षेत्राधिकार के परे जाकर याचिका की स्वीकृति और पूरी तरह या आंशिक रूप से आगे बढ़ने से इंकार करने पर अधिनियम की धारा 37(2)(ए) के तहत सीधे अपील योग्य है। [पैरा 6]

एसबीपी एंड कंपनी बनाम पटेल इंजीनियरिंग लिमि. व अन्य [2005], 8 एस.सी.सी. 618. पर आधारित

पांडुरंग धोनी चैगुले बनाम. मारुति हरि जाधव. [1966] 1 एससीआर 102, का उल्लेख किया गया।

1.2. ऐसे मामले में प्रतिदावे को संदर्भित और निपटाया जाता है और यह दलील दी जाती है कि पक्षों के बीच पहले हुए विवादों के निपटारे के मद्देनजर प्रतिदावा स्थिर नहीं रह पाता है, तो इसे इंकार का मामला नहीं माना जा सकता है। माध्यस्थम अधिकरण द्वारा क्षेत्राधिकार का प्रयोग

करने के लिए या जब माध्यस्थम अधिकरण को पता चलता है कि दावा समाप्त हो गया था और प्रासंगिक समय पर किए जाने के लिए उपलब्ध नहीं था या दावा अन्य वैध कारणों से चलने योग्य नहीं था या दावा परिसीमा द्वारा वर्जित था, अधिकरण द्वारा सभी निर्णय दावे के गुणावगुण के आधार पर दिए जाते हैं और ऐसे मामले में पीडित पक्ष केवल अधिनियम की धारा 34 का सहारा ले सकता है और उस प्रावधान के तहत उपलब्ध किसी भी आधार को स्थापित करने में उसे सफल होना होगा। यह उस पक्ष के लिए खुला नहीं होगा कि वह यह स्थिति अपनाए कि उसके दावे के गुण-दोष पर जाने से इंकार करके, मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने एक दलील को बरकरार रखा था कि उसके पास दावे पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है और इसलिए पंचाट या आदेश दिया गया है। यह अधिनियम की धारा 16(2) के दायरे में आता है और परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 37(2) (ए) के तहत अपील योग्य है [पैरा 7] [414-बी -जी]

2.1. बैठक के कार्यवृत्त के मद्देनजर अधिकरण का निष्कर्ष दोनों पक्षों के विभिन्न दावों को खारिज कर दिया गया और अपीलकर्ता का निपटारा किया गया प्रतिदावे में निर्धारित अधिकांश दावों का पालन नहीं किया जा सकता, निष्कर्ष दिया गया कि दावे के गुणावगुण और न ही मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय के तहत धारा 16 (2) या 16 (3) और इस

तरह धारा 37 (2) के तहत अपील सुनवाई योग्य नहीं है। [पैरा 8] [415-सी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2006 की सिविल अपील संख्या 1953.

दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय और अंतिम आदेश दिनांक 24.5.2005 ; ओएमपी संख्या 462/2003

रूचि गौर नरूला, करण कार्तिक यांबेन और सुब्रमण्यम प्रसाद अपीलकर्ता की ओर से.

दीपांकर गुप्ता, अनिल भटनागर, अनिल शर्मा, अमित ढींगरा, तमेमा मलिक, मनु शर्मा और राह्ल प्रसन्ना दवे प्रत्यर्थी की ओर से.

न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया।

ए.के.माथुर, जे. 1. यह अपील दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24-5-2005 को पारित आदेश के विरुद्ध निर्देशित है, जिसमें इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स, आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल द्वारा 31-7-2002 को दिए गए आंशिक पंचाट को चुनौती दी गई है।

2. संक्षिप्त तथ्य जो इस अपील के निपटान के लिए आवश्यक हैं, वे हैं कि 6-12-1999 को पक्षकारों ने दादरी, यूपी में 817 मेगावाट गैस आधारित संयुक्त चक्र विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए कम्ड

324,405,000 जिसकी बराबर कीमत रु.2,190,000,000/- (दो हजार एक सौ नब्बे मिलियन रुपये) में एक अनुबंध किया। प्रत्यर्थी के अनुरोध पर- सीमेंस एटकिंगसेलशाफ्ट (बाद में इसे "एसएजी के रूप में संदर्भित किया जाएगा) क्रॉस-फॉल उल्लंघन खंड के साथ तीन अलग-अलग अनुबंध किए गए थे। एक अनुबंध प्रत्यर्थी-एसएजी के साथ था जिसे "प्रथम अनुबंध" के रूप में जाना जाता है और दूसरा उसके सहयोगियों, अर्थात् भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल), नई दिल्ली के साथ और तीसरा सीमेंस लिमिटेड, बॉम्बे के साथ था। अनुबंध के निष्पादन में ह्ई काफी देरी का मुख्य कारण अपीलकर्ता- नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (इसके बाद इसे "एनटीपीसी" कहा जाएगा), प्रत्यर्थी-एसएजी के पक्ष में क्रेडिट पत्र खोलने में देरी और इसके लिए जिम्मेदार था, वैधानिक प्राधिकारियों से विभिन्न उपकरणों के लिए आयात लाइसेंस प्राप्त करना, प्रत्यर्थी ने देरी के परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान के लिए अपीलकर्ता-एनटीपीसी के खिलाफ कई दावे उठाए। दूसरी ओर, अपीलकर्ता को प्रत्यर्थी से महत्वपूर्ण घटकों और स्पेयर पार्ट्स और टूल्स प्राप्त करने में भी गंभीर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। उक्त विवादों को सुलझाने के लिए 6/7 अप्रैल, 2002 को पक्षकारों की एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई जिसमें कई निर्णय लिए गए। बैठक में लिए गए निर्णयों में से एक यह था कि प्रत्यर्थी को अपनी ओर से अपीलकर्ता-एनटीपीसी को महत्वपूर्ण घटकों और स्पेयर पार्ट्स आदि की आपूर्ति करनी थी और दूसरी ओर

अपीलकर्ता-एनटीपीसी प्रत्यर्थी द्वारा उठाए गए दावे पर विचार करने के लिए सहमत हुई। एसएजी ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया कि अपीलकर्ता-एनटीपीसी द्वारा आयात लाइसेंस की व्यवस्था करने और लेटर ऑफ क्रेडिट खोलने में देरी हुई थी। निर्णय के अनुसरण में, प्रत्यर्थी-एसएजी ने महत्वपूर्ण घटकों आदि की आपूर्ति की, लेकिन अपीलकर्ता-एनटीपीसी ने उपरोक्त देरी के कारण नुकसान के लिए प्रत्यर्थी-एसएजी के दावे पर अनुकूल विचार नहीं किया। इसके बाद, प्रत्यर्थी-एसएजी ने अनुबंध के खंड 27 के संदर्भ में देरी के कारण अपने विवादों/मुआवजे के दावे के निपटारे के लिए आईसीसी मध्यस्थता न्यायालय, पेरिस का संदर्भ दिया। आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय ने उक्त संदर्भ में केस संख्या 11728/एसीएस के रूप में पंजीकृत किया और 5 मई, 2002 को संदर्भ की शर्तें जारी कीं। आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय में तीन मध्यस्थ शामिल थे, अर्थात् श्री आर्थर मैरियट क्यूसी, अध्यक्ष और श्री न्यायमूर्ति आरएस पाठक और श्री न्यायमूर्ति एएम अहमदी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दो पूर्व मुख्य न्यायाधीश। जबिक प्रत्यर्थी-एसएजी का दावा काफी हद तक आयात लाइसेंस प्राप्त करने में अपीलकर्ता-एनटीपीसी की ओर से देरी और प्रत्यर्थी के पक्ष में क्रेडिट पत्र देर से खोलने के कारण मुआवजे से संबंधित है। अपीलकर्ता-एनटीपीसी ने उक्त दावों पर अपना बचाव दाखिल करने के अलावा, प्रत्यर्थी-एसएजी के खिलाफ विभिन्न मामलों में सैकडों करोड रुपये

के कई जवाबी दावे भी दायर किए। प्रत्यर्थी-एसएजी ने अन्य बातों के साथ-साथ अपीलकर्ता-एनटीपीसी के उक्त जवाबी दावों का इस आधार पर विरोध किया कि जवाबी दावे मध्यस्थता योग्य नहीं थे क्योंकि दावे त्यागे गये थे और/या छोड़ दिये गए थे और/या मुक्त कर दिये गये थे और/या संतुष्ट कर दिये गये थे या समझौता कर लिया गया था और अपीलकर्ता ने अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 26 और 27 में निर्दिष्ट मध्यस्थता से पहले की शर्त को पूरा करने में विफल रहा। कई मुद्दे तय किए गए और ट्रिब्यूनल ने पक्षकारों की दलीलों पर विचार करने के बाद 31-7-2002 को आंशिक पंचाट जारी किया और माना कि प्रतिवादी-एसएजी का दावा कायम रखने योग्य था और जवाबी दावों के दौरान परिसीमा से बाधित नहीं था, जबिक अपीलकर्ता-एनटीपीसी का प्रतिदावा स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इसे 6/7 अप्रैल, 2000 की बैठक के मिनटों (एमओएम) में हुए समझौते द्वारा निहित कर लिया गया था। अपीलकर्ता एनटीपीसी उक्त आंशिक पंचाट के खिलाफ व्यथित होकर अपने प्रतिदावे हेतु अपील दायर कर सीधे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

3. प्रारंभिक आपित जो उच्च न्यायालय के समक्ष उठाई गई थी वह यह थी कि क्या आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय के आंशिक फैसले के खिलाफ दायर अपील सुनवाई योग्य थी या नहीं। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के बाद उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह विचार किया कि अपील मध्यस्थता और सुलह अधिनियम , 1996 (इसके बाद इसे "अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) की धारा 37(2) (ए) के तहत अपील पोषणीय नहीं थी।विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निम्नानुसार मत व्यक्त किया कि

"इस न्यायालय ने रिकॉर्ड पर प्राप्त सामग्री की गहन जांच कर विशेष रूप से मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष दायर पक्षकारों की दलीलों, इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा तैयार की गई संदर्भ की शर्तों, माध्यस्थम अधिकरण के समक्ष सुनवाई बंद होने से पहले एवं बाद में पक्षकारों द्वारा दायर लिखित प्रस्तुतियां को संयुक्त पढ़ने पर माध्यस्थम अधिकरण के "आंशिक अंतिम पंचाट" जिसमें पारित निष्कर्ष एवं कारण दर्ज किए गए हैं अधिनियम की धारा 16 एवं 37 के प्रावधानों को वास्तविक अर्थ और क्षेत्र के अनुसार मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 31-7-2002 को दी गई विवादित व्यवस्था को किसी भी तरह से धारा 16(2) एवं धारा 16 (3) के प्रावधानों के तहत न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश नहीं कहा जा सकता है और किसी भी मामले में क्षेत्राधिकार के प्रश्न को नकारात्मक रूप से तय करना जो अधिनियम की धारा 37(2)(ए) के अर्थ में अपीलीय आदेशों के दायरे में आएगा। इस न्यायालय की राय में, विवादित आंशिक पंचाट और कुछ नहीं बल्कि एनटीपीसी के प्रतिदावों को अंततः गुणावगुण के आधार पर तय करने वाला अंतिरम पंचाट है। इसलिए, इस न्यायालय को यह मानना चाहिए कि अधिनियम की धारा 37(2)(ए) के प्रावधानों के तहत ऐसे आंशिक पंचाट के खिलाफ एनटीपीसी द्वारा दायर वर्तमान अपील गलत है और पोषणीय नहीं है।"

इस आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ता-एनटीपीसी द्वारा वर्तमान अपील दायर की गई है।

4. हमने उभयपक्षों के विद्वान वकीलों को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया। वर्तमान अपील में हमारे सामने सवाल यह है कि क्या उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिया गया मत कि अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील अंतरिम पंचाट के खिलाफ पोषणीय है या नहीं। अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने हमें दलीलों के सभी विवरणों से अवगत कराया और हमें यह समझाने की कोशिश की कि अधिकार क्षेत्र और परिसीमा का प्रश्न शामिल है, इसलिए अपील अधिनियम की धारा 37 के तहत पोषणीय है। हमारे सामने पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल अधिनियम की धारा 16 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 37 के प्रावधानों की जांच करना है। अधिनियम की धारा 37 इस प्रकार है:

- "37. अपील योग्य आदेश.- (1) अपील निम्नलिखित आदेशों से (और किसी अन्य से नहीं) आदेश पारित करने वाले न्यायालय के मूल डिक्री से अपील सुनने के लिए कानून द्वारा अधिकृत न्यायालय में की जाएगी, अर्थात -
- (क) धारा 9 के तहत किसी उपाय को मंजूर करना या मंजूर करने से इंकार करना ;
- (ख) धारा 34 के तहत किसी मध्यस्थ पंचाट को अपास्त करना या अपास्त करने से इनकार करना।
- (2) माध्यस्थम अधिकरण के -
- (क) धारा 16 की उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्टर अभिवचन स्वीकार करने के ; या
- (ख) धारा 17 के अधीन किसी अंतरिम उपाय को मंजूर करने या मंजूर करने से इंकार करने के, किसी आदेश से भी अपील न्यायालय में होगी।
- (3) इस धारा के अधीन अपील में पारित किसी आदेश से द्वितीय अपील नहीं होगी, किंतु इस धारा की कोई भी बात, उच्चतम न्यायालय में अपील करने के किसी अधिकार पर प्रभाव न डालेगी या उसे छीन न लेगी।"

जहां तक अधिनियम की धारा 37(1)(ए) का सवाल है, इसमें इस बात पर विचार किया गया है कि धारा 9 के तहत उपाय देने या देने से इंकार करने के अलावा किसी भी आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की जाएगी। धारा 9 अंतरिम आदेशों से संबंधित है और धारा 37(1)(बी) धारा 34 के तहत पारित आदेश से संबंधित है यानी धारा 34 के तहत एक मध्यस्थ पंचाट को रद्द करना या रद्द करने से इनकार करना। धारा 37 की उपधारा (2)(ए) में प्रावधान है कि धारा 16 की उपधारा (2) या उपधारा (3) के तहत याचिका/दलील स्वीकार करने वाले मध्यस्थ न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ भी अपील न्यायालय में की जाएगी। -धारा (2)(बी) धारा 17 के तहत अंतरिम उपाय देने या देने से इंकार करने वाले आदेश के खिलाफ अपील पर विचार करती है, यानी अधिकरण द्वारा मध्यस्थता कार्यवाही के लंबित होने के समय उपधारा (3) कहती है कि इस धारा के तहत अपील में पारित आदेशों के खिलाफ कोई दूसरी अपील नहीं की जाएगी। अब हम धारा 16 के दायरे की जांच करेंगे, जो इस प्रकार है:

"16. माध्यस्थम अधिकरण की अपनी अधिकारिता के बारे में विनिर्णय करने की सक्षमता - (1)माध्यस्थम अधिकरण, अपनी अधिकारिता के बारे में स्वयं विनिर्णय कर सकेगा, जिसके अंतर्गत माध्यस्थम करार की विद्यमानता या विधिमान्यता की बाबत किसी आक्षेप पर विनिर्णय भी है

और उस प्रयोजन के लिए, -

- (क) कोई माध्यस्थम खंड, जो किसी संविदा का भागरूप है, संविदा के अन्य निबंधनों से स्वतंत्र किसी करार के रूप में माना जाएगा, और
- (ख) माध्यस्थम अधिकरण का ऐसा कोई विनिश्चय कि संविदा अकृत और शून्य है, माध्यस्थम खंड को विधितः अविधिमान्य नहीं करेगा।
- (2) यह अभिवाक कि माध्यस्थम अधिकरण को अधिकारिता नहीं है, प्रतिरक्षा का कथन प्रस्तुत किए जाने के पश्चात नहीं किया जाएगा ; तथापि, कोई पक्षकार, केवल इस कारण यह अभिवाक करने से निवारित नहीं किया जाएगा कि उसने किसी मध्यस्थ को नियुक्त किया है या उसकी नियुक्ति में भाग लिया है।
- (3) यह अभिवाक कि माध्यस्थम अधिकरण अपने प्राधिकरण की परिधि का अतिक्रमण कर रहा है, यथाशीघ्र जैसे ही मामला, उसके प्राधिकार की परिधि से परे अभिकथित किया जाता है, माध्यस्थम कार्यवाहियों के दौरान किया जाएगा।

- (4) माध्यस्थम् अधिकरण उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट मामलों में से किसी में भी परवर्ती अभिवाक् को, यदि वह विलंब को न्यायोचित समझता है तो, ग्रहण कर सकता है।
- (5) माध्यस्थम अधिकरण, उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी अभिवाक् पर विनिश्चिय करेगा और जहां माध्यस्थम अधिकरण अभिवाक् को नामंजूर करने का विनिश्चय करता है वहां वह माध्यस्थम कार्यवाहियों को जारी रखेगा और माध्यस्थम पंचाट देगा।
- (6) ऐसे किसी माध्यस्थम पंचाट से व्यथित कोई पक्षकार ऐसे किसी माध्यस्थम पंचाट को अपास्त करने के लिए धारा 34 के अनुसार आवेदन कर सकेगा।"

धारा 16 की उपधारा (2) और (3) क्षेत्राधिकार से संबंधित हैं। धारा 16 की उपधारा (2) कहती है कि न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र के अभाव की दलील जल्द से जल्द उठाई जानी चाहिए यानी प्रतिरक्षा का कथन प्रस्तुत करने के बाद नहीं और यह आगे कहती है कि किसी भी पक्ष को इस तरह का अभिवाक उठाने से नहीं रोका जाएगा कि उसने मध्यस्थ की नियुक्ति की है, या नियुक्ति में भाग लिया है। उपधारा (3) में कहा गया है कि यह अभिवाक् कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण अपने प्राधिकरण की

परिधि का अतिक्रमण कर रहा है, मध्यस्थ कार्यवाही के दौरान उठाया जाएगा। धारा 16 की उप-धाराओं (2) और (3) को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह क्षेत्राधिकार से संबंधित है यानी कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है या मध्यस्थ न्यायाधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहा है। दोनों में से किसी भी स्थिति में, धारा 37 की उपधारा (2) के तहत सीधी अपील सुनवाई योग्य है। इसलिए, इस कानूनी प्रावधान के आलोक में हम यह जांच करेंगे कि क्या अंतरिम पंचाट देते समय न्यायाधिकरण ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है या इसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

5. जहां तकधारा 16 की उपधारा (2) का सवाल है, हम अधिकरण की ओर से अधिकार क्षेत्र के अभाव के प्रश्न का सीधे निपटान कर सकते हैं क्योंकि यह वर्तमान मामले में शामिल नहीं है। लेकिन वर्तमान मामले में जोर इस बात पर दिया गया कि ट्रिब्यूनल ने आंशिक पंचाट पारित करने में अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। तथ्यों का उल्लेख पहले ही ऊपर किया जा चुका है। यहां समझौते के प्रासंगिक खंड जो कि मध्यस्थता से संबंधित है, का उल्लेख करना प्रासंगिक है। अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 26 और 27 इस प्रकार हैं:

"26.0. विवाद का निपटारा

26.1. अनुबंध के संबंध में या उससे उत्पन्न होने वाले

किसी भी विवाद या मतभेद को यथासंभव पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाएगा।

26.2. खंड 27.0 में विशेष रूप से प्रदान किये जाने के सिवाय अनुबंध से या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी अनसुलझे विवाद या मतभेदों का निर्णय सबसे पहले एक इंजीनियर द्वारा किया जाएगा जिसका निर्णय अंतिम और पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

27.0 मध्यस्थता

27.1. यदि कार्य के निष्पादन के दौरान अनुबंध से उत्पन्न होने वाले मालिक और ठेकेदार के बीच किसी भी प्रकार का कोई विवाद या मतभेद चाहे कार्य की प्रगति के दौरान या उसका पूरा होने के बाद या समाप्ति, परित्याग से पहले या बाद में या संविदा के उल्लंघन से उत्पन्न होता है। सबसे पहले इसे इंजीनियर द्वारा संदर्भित और निपटारा किया जाएगा, जो किसी भी पक्ष मालिक एवं ठेकेदारद्वारा ऐसा करने का अनुरोध किए जाने के बाद तीस (30) दिनों की अविध के भीतर अपने निर्णय की लिखित सूचना देगा।

27.2. जैसा कि इसके बादप्रदत्त किया गया है, को

छोड़कर, निर्दिष्ट प्रत्येक मामले के संबंध में अंतिम होगा और काम पूरा होने तक पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा और ठेकेदारइसे तुरंत प्रभाव से व पूर्ण सामथ्र्य के साथ काम को आगे बढ़ाएगा, चाहे उसे या मालिक को मध्यस्थता की आवश्यकता है जैसा कि इसके बाद प्रदत्त है या नहीं।

- 27.3. यदि इंजीनियर द्वारा पक्षकारों को अपने निर्णय की लिखित सूचना देने के बाद, नोटिस की प्राप्ति से तीस (30) दिनों के भीतर किसी भी पक्ष द्वारा मध्यस्थता का कोई दावा नहीं किया गया है, तो उक्त निर्णय अंतिम और पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।
- 27.4 ऐसी स्थिति जिसमें इंजीनियर द्वारा तीस (30) दिवस के भीतर उक्तानुसार अपने पारित निर्णय को सूचित करने में विफल रहने या, मालिक या ठेकेदार ऐसे किसी भी निर्णय से असंतुष्ट होने की स्थिति में तीस (30) दिवस के भीतर, जो भी मामला हो, कोई भी पक्ष आवश्यकतानुसार विवादग्रस्त मामला इसके बाद मध्यस्थता हेतु भेजा जाएगा।
- 27.5 सभी विवाद या मतभेद जिसके संबंध में इंजीनियर का कोई भी निर्णय उपरोक्तानुसार अंतिम या बाध्यकारी नहीं है, का निपटारा मध्यस्थता द्वारा किया

जाएगा।

- 27.6 विदेशी ठेकेदार की स्थिति में मध्यस्थता तीन मध्यस्थों द्वारा संचालित की जाएगी, एक-एक, मालिक और ठेकेदार द्वारा नामित एवं तीसराइंटरनेशनल चैंबर आॅफ काॅमर्स,पेरिस के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाएंगे। उपयुक्त सभी नियमों को छोड़कर इंटरनेशनल चैंबर आॅफ काॅमर्स के सुलह एवं मध्यस्थता पर लागू होंगे। मध्यस्थों द्वारा निधीरित स्थानों पर मध्यस्थता आयोजित की जाएगी।
- 27.7 पक्षकारों पर मध्यस्थों द्वारा बहुमत से लिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता के खर्चे का भुगतान मध्यस्थों द्वारा निर्धारित अनुसार किया जाएगा। मध्यस्थ सभी पक्षकारों की सहमित से समय-समय पर पंचाट देने की अविध को बढ़ा सकते हैं। उपरोक्त मध्यस्थों में से किसी की मृत्यु, उपेक्षा, इस्तीफा देने या किसी कारणवश कार्य असमर्थता होने की स्थिति में संबंधित पक्षकार द्वारा वर्तमान मध्यस्थ के स्थान पर किसी अन्य मध्यस्थ को नामित करना वैध होगा।"
- 6. वर्तमान मामले में, इंजीनियर द्वारा प्रत्यर्थी के मामले को अस्वीकार करने के उपरांत मामला मध्यस्थता को भेजा गया और मध्यस्थों

द्वारा कार्यवाही चालू की गई, उसमें प्रतिदावा किया गया। प्रतिदावा उन मुद्दों से संबंधित है जिसे 06/07 अप्रैल, 2000 की बैठक कार्यवाही विवरण में पहले ही निस्तारित किया जा चुका है, इसलिए प्रत्यर्थी का प्रतिदावे के खिलाफ यह मत था कि यह बिना क्षेत्राधिकार के है एवं मध्यस्थता योग्य नहीं है, क्योंकि प्रतिदावा संख्या 1 से 7 का निर्धारण 06/07 अप्रैल, 2000 की बैठक कार्यवाही विवरण द्वारा हो चुका है। प्रतिदावे पर विचार करने के बाद मध्यस्थ इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दिनांक 06/07 अप्रैल, 2000 की बैठक कार्यवृत अनुसार प्रतिदावों का निस्तारण हो चुका है। मध्यस्थों द्वारा प्रत्येक प्रतिदावे की जांच की गई। मध्यस्थों ने अपने पंचाट के पैरा 4.58 में मत दिया कि अधिकरण के मत में इसमें से कोई भी प्रतिदावा स्वीकार्य नहीं था एवं अधिकांश दावों का निस्तारण हो चुका है। प्रत्येक प्रतिदावे के विचार-विमर्श में यह भी पाया गया कि दिनांक 06/07 अप्रैल, 2000 की बैठक कार्यवाही विवरण में प्रतिदावा संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 पहले से ही शामिल थे और अंततः पैराग्राफ 4.60 और 4.61 में निम्नानुसार यह भी पाया गया कि -

" 4.60 जैसा कि देखा जायेगा, अधिकांश प्रतिदावे 06/07 अप्रैल, 2000 के निस्तारण समझौते द्वारा निस्तारित किए जा चुके हैं जो कि उपर्युक्त संदर्भित 5 मई 2000 और 10 मई 2000 के पत्राचार का विषय था। इस दृष्टिकोण से

पत्राचार बाद लिया गया एम.ओ.एम. स्पष्ट रूप से एक बाध्यकारी समझौता है जिसके तहत कई दावों पर समझौता किया गया। अतः पैरेग्राफ 2, 3 और 4 महत्वपूर्ण घटक एवं परिचालन गारंटी पर चर्चा दर्शाते हैं। इन मामलों का निर्धारण पेरेग्राफ 5 से प्रतीत होता है

"तािक आगामी ओवरहाल के लिए एसएजी द्वारा महत्वपूर्ण घटकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दोनों पक्षों में किसी भी मध्यस्थता से बचा जा सके। तद्रुसार, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और पैकेज डील के रूप में निम्नलिखित पैराग्राफ के अनुसार समझौते किए गए।"

4.61. इसके बाद विनिर्दिष्ट समझौतों की श्रृंखला को अभिलिखित कर मौजूदा विवादों का निस्तारण किया गया एवं अनुच्छेद 15 अनुसार दोनों पक्षों द्वारा इसकी स्पष्ट पुष्टि की गई।

"पहले एवं तीसरे अनुबंध में समझौते हेतु अन्य कोई मुद्दे नहीं थे।"

7. अधिकरण ने यह भी कहा कि समझौते के बाध्यकारी नहीं होने के कारण कुछ आपत्तियां उठाई गई थी, जिनका निस्तारण अधिकरण द्वारा कर दिया गया। चूंकि समझौता पक्षकारों के बीच बिना किसी दबाव व धोखे के स्वेच्छा से किया गया था। पंचाट के पेरेग्राफ 4.64 में यह निष्कर्ष निकाला गया कि जहां तक प्रतिदावे सं. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 और 10 का सवाल है, उनका निस्तारण समझौते के अनुसार किया जा चुका है। जहां तक प्रतिदावा संख्या 7 का प्रश्न है, यह केवल अधिकार को आरक्षित करना था एवं जहां तक प्रतिदावा संख्या 1 का संबंध है तो अधिकरण की यह राय थी कि पांच क्रय आदेशों की पृष्टि कर आपूर्ति की गई, इसलिए विवाद का कोई प्रश्न नहीं है। तद्ग्सार बैठक कार्यवाही विवरण दिनांकित 06/07 अप्रैल, 2000 में निस्तारित मुद्दों के संबंध में अधिकरण का यह मानना था कि अधिकरण को प्रतिदावे के अतिरिक्त बचाव को मानने की जरूरत नहीं है एवं यह भी माना कि वे अस्वीकार्य थे एवं मध्यस्थता के अनुबंध में शामिल होने योग्य नहीं थे। तद्रुसार अधिकरण द्वारा पंचाट पारित किया गया। अधिकरण ने सभी प्रतिदावों की जांच कर, उपरोक्त निष्कर्ष दिया।

8. अब, वर्तमान मामले में एकमात्र प्रश्न जो तय होना बाकी है, वह यह है कि क्या आंशिक पंचाट के आदेश के खिलाफ सीधे अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील पोषणीय है या नहीं। हमने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों पर विचार एवं प्रतिदावे व आंशिक पंचाट पर विचार कर हमारा यह मत है कि मामले में क्षेत्राधिकार का कोई प्रश्न नहीं है, जिससे कि अपीलकर्ता को धारा 37 के तहत सीधे उच्च न्यायालय के

समक्ष अपील दायर करने में सक्षम बनाया जा सके। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, धारा 37 की उप-धारा (2) के तहत अपील केवल तभी की जा सकती है जब अधिनियम की धारा 16(2) और (3) के तहत कोई आदेश पारित किया गया हो। धारा 16(2) और (3) क्षेत्राधिकार से संबंधित है। अपीलकर्ता द्वारा क्षेत्राधिकार का मामला नहीं उठाया गया। यह प्रत्यर्थी द्वारा प्रतिदावे को लेने के लिए उठाया गया था, लेकिन इसका संदर्भ अधिकरण के क्षेत्राधिकार से न होकर इसका संदर्भ यह था कि प्रतिदावे का प्रश्न सीधे तौर से इसलिए निस्तारण योग्य नहीं है कि सभी मुद्दे जो कि प्रतिदावे में उठाए गए थे, वे बैठक कार्यवाही विवरण संख्या 1 से 10 दिनांकित 06/07 अप्रैल, 2000 में निपटा दिए गए थे और यह अभिलिखित था कि पहले एवं तीसरे अनुबंध में निस्तारण योग्य कोई अन्य विवाद्यक नहीं है। इसलिए हम यह समझने में असफल हैं कि इस मामले में क्षेत्राधिकार का प्रश्न कैसे शामिल था। वास्तव में यह इस तथ्य के संदर्भ में था कि सभी प्रतिदावों का पहले ही निस्तारण हो चुका था और बैठक में यह तय हो चुका था कि निस्तारण योग्य कोई अन्य मुद्दा नहीं है। इस संदर्भ में अपीलकर्ता द्वारा दायर प्रतिदावे का विरोध किया गया। यदि कोई व्यथा थी वो वह प्रत्यर्थी द्वारा की जानी थी, ना कि अपीलकर्ता द्वारा। अधिकरण द्वारा दिनांक 06/07 अप्रैल, 2000 की बैठक कार्यवाही विवरण की तुलना प्रतिदावों से करने के बाद ही इन तथ्यों का निष्कर्ष दिया गया। इसलिए, क्षेत्राधिकार का इस मामले में कोई प्रश्न नहीं था, जिस कारण से अपीलकर्ता उच्च न्यायालय को सीधे अपील करने को सक्षम बनाता हो। उच्च न्यायालय ने भी इस मामले की जांच की और स्पष्ट रूप से अपने आदेश के पैराग्राफ 9 में मत व्यक्त किया है कि -

"इसिलए, मौजूदा मामले में यह देखा गया कि सीमेंस एजी द्वारा दायर याचिका/अभिवाक् एनटीपीसी के प्रतिदावें के संबंध में माध्यस्थम अधिकरण के क्षेत्राधिकार के अभाव को लेकर या अधिनियम की धारा 16 (2) व 16 (3) के तहत मौजूदा विवाद की मध्यस्थता हेतु या प्रतिदावें के गुणावगुण एवं इस आधार पर इसके अस्तित्व/निर्वाह के संबंध में एक अपील थी कि एनटीपीसी के प्रतिदावों का निस्तारण हो चुका है एवं दिनांक 06/07 अप्रैल, 2000 को हुए एम.ओ.एम. में पक्षकारों द्वारा लिए गए निर्णयानुसार यह ठहरने लायक नहीं है।"

9. इसिलए, मौजूदा मामले में क्षेत्राधिकार का प्रश्न नहीं था क्योंकि प्रत्यर्थी-एसएजी ने प्रतिदावे को यह कहकर विरोध किया कि इसका निस्तारण हो चुका है। अधिकरण द्वारा अभिलिखित तथ्यों में यह निष्कर्ष था कि प्रतिदावे बैठक के मिनटों के निर्णयों के अंतर्गत आते हैं। हालांकि प्रत्यर्थी-एसएजी ने शुरुआत में इसका विरोध किया था कि यह मध्यस्थता योग्य नहीं है या अधिकरण प्रतिवाद पर कार्यवाही नहीं कर सकता है।

इसके बावजूद अधिकरण ने मामले के गुणावगुण की जांच कर, गुणावगुण पर आंशिक पंचाट पारित कर प्रतिदावे का निस्तारण किया। हम यह समझने में असमर्थ हैं कि अपीलकर्ता एनटीपीसी कैसे क्षेत्राधिकार का प्रश्न उठाकर इस मामले को धारा 16 (2) व (3) के तहत ला सकते हैं।

10. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के कुछ निर्णयों का उल्लेख करने का प्रयास किया गया, लेकिन हम नहीं समझते कि उन निर्णयों को वर्तमान मामले में नोट करने की आवश्यकता है क्योंकि पूरा प्रश्न वर्तमान मामले में शामिल तथ्यों पर आधारित है और हम संतुष्ट हैं कि आंशिक पंचाट पारित किया जा सकता है और इस आंशिक पंचाट के खिलाफ अधिनियम की धारा 34 के तहत अपीलकर्ता को राहत उपलब्ध है एवं इसके बाद वे अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील दायर कर सकते हैं। लेकिन उच्च न्यायालय के समक्ष सीधी अपील दायर नहीं की जा सकती है, क्योंकि क्षेत्राधिकार संबंधी का कोई प्रश्न नहीं है। प्रतिदावे का निस्तारण इस मूल तथ्य पर किया गया था कि प्रतिदावे का निस्तारण एम.ओ.एम. दिनांक 06/07 अप्रैल, 2000 द्वारा किया जा चुका था। मामले के इस दृष्टिकोण से, हमें विद्वान अधिवक्ता द्वारा उल्लेखित निर्णय एवं अपीलार्थी द्वारा अन्य लिखित निवेदनों को उल्लेखित करने की आवश्यकता नहीं है। हम संतुष्ट हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया मत सही है। अधिनियम की धारा 37 (2) के तहत अपील उच्च न्यायालय के

समक्ष पोषणीय नहीं थी एवं उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। तद्रुसार कोस्ट के संबंध में कोई आदेश दिए बिना अपील खारिज की जाती है।

पी.के. बालसुब्रमण्यम जे. 1.1 मैं अपने विद्वान भ्राता के तर्क एवं निष्कर्ष से सम्मानपूर्वक सहमत हूं। प्रश्न के महत्व एवं इसकी आवृत्ति को देखते हुए मैं इसमें कुछ शब्द और जोड़ना चाहूंगा।

2. मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष सीमेंस ठेकेदार ने एनटीपीसी की ओर से हुई देरी के लिए मुआवजे का दावा किया जिसके लिए एक कार्य अनुबंध सीमेंस द्वारा निष्पादित किया गया था। एनटीपीसी ने न केवल दावे का विरोध किया, बल्कि एक प्रतिदावा भी किया। प्रतिदावे का सीमेंस द्वारा विरोध कर यह जवाब दिया गया कि पक्षकारों के बीच सभी बकाया दावों का निस्तारण हो चुका है, सिवाय वो दावे जो मध्यस्थ अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए हए हैं। यह पक्षकारों के बीच हए एम.ओ.एम. से प्रमाणित है जो कि बैठक कार्यवाही विवरण एम.ओ.एम. में उल्लेखित है। इस प्रकार सीमेंस ने दावा किया कि एनटीपीसी द्वारा मध्यस्थ अधिकरण के समक्ष किए गए दावे, प्रतिदावे के रूप में पोषणीय नहीं है और ना ही एम.ओ.एम. के अनुरूप है। उन्होंने यह भी मामला उठाया कि एनटीपीसी द्वारा मध्यस्थता खंड के अनुरूप सर्वप्रथम यह मुद्दा इंजीनियर के समक्ष नहीं उठाया, वह सीधे ही मध्यस्थ अधिकरण के समक्ष दावा नहीं उठा

सकता। आपत्ति का यह भाग बहस के स्तर पर छोड़ दिया गया था। इसलिए, मध्यस्थ अधिकरण के समक्ष निर्णय हेत् एनटीपीसी के दावों का प्रतिदावा एम.ओ.एम. के अनुरूप था या नहीं यह प्रश्न शेष था। मध्यस्थ अधिकरण ने कुछ प्रारंभिक प्रश्नों का निस्तारण करना उचित समझा, जिसमें यह प्रश्न भी शामिल था कि क्या एनटीपीसी एम.ओ.एम. के प्रकाश में प्रतिदावा कर सकती है। न्यायाधिकरण का यह मत था कि प्रतिदावे में दावा संख्या 1 और 7 के अलावा, अन्य दावों का निस्तारण पहले ही हो चुका है, जैसा कि एम.ओ.एम. द्वारा प्रमाणित है और उक्त दावे मध्यस्थ अधिकरण द्वारा निर्णय योग्य नहीं थे। यह माना गया कि दावा संख्या 7 वास्तव में दावा ना होकर एनटीपीसी द्वारा दावा करने के अधिकार को आरक्षित करने के लिए किया गया था। दावा संख्या 1 के संबंध में, अधिकरण का यह मत था कि यह परिसीमा से वर्जित था, इसलिए इसको आंशिक पंचाट कहा गया। सीमेंस का दावा समय पर पाया गया एवं एनटीपीसी का प्रतिदावा अस्थिर पाया गया।

3. एनटीपीसी द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 37 (2) (ए) के तहत आंशिक पंचाट के विरूद्ध अपील दायर करने की मांग की गई। एनटीपीसी का यह तर्क था कि जब मध्यस्थों ने प्रतिदावे के गुणावगुण को मानने से इंकार किया तो वे वास्तव में धारा 16 की उपधारा (2) के तहत क्षेत्राधिकार को मानने से इंकार कर रहे थे एवं ऐसी स्थिति में अपील सीधे तौर अधिनियम की धारा 37 (2) (ए) के तहत पोषणीय है। सीमेंस द्वारा इस संबंध में यह तर्क दिया कि यह मामला एनटीपीसी के प्रतिदावे हेतु मध्यस्थ अधिकरण द्वारा क्षेत्राधिकार से इंकारी का नहीं बल्कि यह मामला वास्तव में पंचाट में दिए गए कारणों के तहत प्रतिदावों को अस्थिर पाए जाने का था। इस प्रकार मध्यस्थ अधिकरण द्वारा पारित किया गया आंशिक पंचाट, एनटीपीसी के प्रतिदावे के खिलाफ एक पंचाट था ना कि यह मामला अधिनियम की धारा 16 के उपखंड (2) या (3) जो कि अधिनियम की धारा 37 (2)(ए) को आकृष्ट करती हो।

- 4. अपीलकर्ता, एनटीपीसी की ओर से जो तर्क देने की मांग की गई है, वह यह है कि मध्यस्थ अधिकरण पहले क्षेत्राधिकार एवं परिसीमा का प्रश्न निस्तारित करना चाहती थी और उक्त प्रश्नों का निस्तारण के दौरान उन प्रतिदावों को खारिज किया गया और यह मध्यस्थ अधिकरण द्वारा एनटीपीसी के प्रतिदावे के निर्णयार्थ अपने क्षेत्राधिकार को इंकार करने जैसा था। इसलिए आंशिक पंचाट, अधिनियम की धारा 16 (2) के तहत एक याचिका/अभिवाक् पर निर्णय था और परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 37 (2) (ए) के तहत अपील योग्य था।
- 5. वृहद अर्थ में, किसी भी दावे के गुणावगुण पर जाने से इंकार, क्षेत्राधिकार की सीमा में हो सकता है। यहां तक कि परिसीमा के कारण भी

दावे को खारिज करना भी अदालत या अधिकरण के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। किसी भी दावे को इस आधार पर खारिज करना कि यह परिसीमा से वर्जित है तो यह एक प्रकार से न्यायालय या अधिकरण द्वारा दावे के गुणावगुण पर अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इंकार करने का मामला होगा। पांडुरंग धोनी चैगुले बनाम मारूति हरि जाधव [1966] 1 एससीआर 102 में इस न्यायालय ने पाया कि:

"यह पूर्णतया स्थापित है कि परिसीमा की याचिका/अभिवाक् या पूर्वन्याय की याचिका/अभिवाक् कानून की एक याचिका है जो कार्यवाही करने वाले न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित है। इन याचिकाओं/अभिवाकों को उठाने वाले पक्षकार के पक्ष में निष्कर्ष न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर होगा, इसलिए इन याचिकाओं/अभिवाकों पर गलत निर्णय को क्षेत्राधिकार के प्रश्न से संबंधित कहा जा सकता है जो कि संहिता की धारा 115 के दायरे में आता है।"

इसिलए एक विशेष अर्थ में, किसी भी दावे के गुणावगुण में जाने से इंकार करना क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इंकार करने का मामला कहा जा सकता है।

6. ''क्षेत्राधिकार'' शब्द कई अर्थों वाला शब्द है। इसका अर्थ इस

संदर्भ से लिया जाना चाहिए जिसमें इसका उपयोग किया गया है। जब हम अधिनियम की धारा 16 को देखते हैं तो यह पाते हैं कि उक्त प्रावधान वह हैं जो मध्यस्थ अधिकरण के क्षेत्राधिकार से संबंधित है। एस.बी.पी. एंड कंपनी बनाम पटेल इंजनीयरिंग लिमिटेड व अन्य (2005) 8 एससीसी 618 में एक अर्थ में धारा 16 के संचालन को उन मामलों तक सीमित कर दिया जहां अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ बिना, मध्यस्थ अधिकरण का गठन करार के पक्षकारों के अनुरोध पर किया गया हो। ऐसे मामलों में जहां पक्षकारों ने अधिनियम की धारा 11 (6) का सहारा लिए बिना मध्यस्थ अधिकरण का गठन किया गया था, उन्हें अभी भी मध्यस्थ अधिकरण के क्षेत्राधिकार पर सवाल उठाने का अधिकार है एवं साथ ही मध्यस्थ करार के अस्तित्व या वैधता के संबंध में किसी भी आपति पर विनिर्णय करने का अधिकार शामिल है। इसलिए यह नियम पारित किया जा सकता है कि कोई मध्यस्थता करार अस्तित्व में नहीं हो, या मध्यस्थता करार वैध नहीं हो, या मध्यस्थता करार अधिकरण को उस विशेष दावे पर निर्णय लेने का क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं करता है, जो उसके सामने रखा गया था। उपधारा (5) के तहत याचिका/अभिवाक पर निर्णय लेने का दायित्व है और जहां यह याचिका/अभिवाक खारिज करता है वहां मध्यस्थता कार्यवाही जारी रख पंचाट पारित कर सकता है। उपधारा (6) के तहत व्यथित पक्षकार धारा 34 के तहत मध्यस्थ पंचाट को रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है। दूसरे शब्दों में व्यथित पक्ष पंचाट को

चुनौती देने के लिए यह तर्क दे सकता है कि अधिकरण द्वारा बिना क्षेत्राधिकार के इसे पारित किया गया है या क्षेत्राधिकार का उल्लंघन कर पारित किया गया है, ऐसा तब होता है जब अधिकरण पंचाट पारित करता है। धारा 16 की विभिन्न उपधाराओं के संदर्भ में ''क्षेत्राधिकार'' की अभिव्यक्ति एवं अपील के प्रावधानों के दायरे को समझना होगा। ऐसे मामले जहां मध्यस्थ अधिकरण क्षेत्राधिकार संबंधी आपत्ति खारिज कर पंचाट पारित करता है, वहां धारा 16 की उपधारा (6) से स्पष्ट है कि पक्षकारों को संभवतः अधिनियम की धारा 34 का सहारा लेकर पंचाट से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन यदि अधिकरण क्षेत्राधिकार इंकार करता है या पंचाट पारित करने से मना करता है और मध्यस्थ कार्यवाही को खारित कर देता है, तो पीडित पक्ष बिना किसी उपाय के नहीं है, धारा 37(2) ऐसी स्थिति से संबंधित है जहां क्षेत्राधिकार का अभाव या क्षेत्राधिकार से परे का दावा मध्यस्थ अधिकरण द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है और वह क्षेत्राधिकार के गुणावगुण से इंकार करता है तो सीधी अपील की जा सकती है। अधिनियम की धारा 16 एवं धारा 37(2)(ए) के विशिष्ट शब्दों के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि क्षेत्राधिकार का अभाव या क्षेत्राधिकार से परे की दलील/अभिवाक् को स्वीकारना और पूर्ण या आंशिक रूप से कार्यवाही करने से इंकार करना, अधिनियम की धारा 37(2)(ए) के तहत सीधे अपील योग्य है।

- 7. ऐसे मामले में जहां एक प्रतिदावा संदर्भित किया जाता है और यह अभिवाक्/दलील दी जाती है कि पक्षकारों के बीच हए पहले हए विवादों के निपटारे के मध्यनजर प्रतिदावा बचा नहीं रहता है, इसे यह नहीं कहा जा सकता कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से मना कर दिया हो। इसी प्रकार यही स्थिति जब मध्यस्थ अधिकरण यह पाता है कि दावा समाप्त हो गया था और प्रासांगिक समय पर उपलब्ध नहीं था या किसी अन्य वैध कारण से पोषणीय नहीं था या दावा परिसीमा द्वारा वर्जित था। वे सभी अधिकरण द्वारा दावे के गुणावगुण के आधार पर दिए गए निर्णय हैं और ऐसे मामले में व्यथित पक्षकार केवल अधिनियम की धारा 34 का सहारा ले सकता है और उसे अधिनियम और उस प्रावधान के तहत उपलब्ध किसी भी आधार को स्थापित करने में सफल होना होगा। यह उस पक्ष के लिए खुला नहीं होगा कि वह यह स्थिति अपनाए कि उसके दावे के गुणावगुण पर जाने से इनकार करके, मध्यस्थता अधिकरण ने एक दलील को बरकरार रखा था कि उसके पास दावे पर विचार करने का क्षेत्राधिकार नहीं है और इसलिए पंचाट या आदेश पारित किया गया, वह अधिनियम की धारा 16(2) की परिधि में आता है और परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 37 (2) (ए) के तहत अपील योग्य है।
- 8. हस्तगत मामले में अधिकरण ने यह पाया कि एम.ओ.एम. जिसमें किसी भी पक्ष के विभिन्न दावों को खारिज कर दिया गया और

निस्तारित कर दिया गया और एन.टी.पी.सी. प्रतिदावे में उल्लेखित अधिकांश दावों को अनुसरण नहीं कर पाया। यह एन.टी.पी.सी. के दावे का गुणावगुण पर एक निष्कर्ष है। यह अधिनियम की धारा 16(2) या धारा 16 (3) के तहत मध्यस्थ अधिकरण द्वारा लिया गया निर्णय नहीं है। परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय यह निर्धारित करने में सही था कि एन.टी.पी.सी. द्वारा दायर अपील धारा 37 (2)(ए) के तहत पोषणीय नहीं थी।

अपील खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुनील कुमार (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारित उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।